डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. विजयराम
2. शिवचराम
3. रतीराम

पिसरान माधोसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली जिला करौली
2. रवि अग्रवाल पुत्र श्री शिव भगवान अग्रवाल जाति महाजन निवासी केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. सुमरनसिंह पुत्र श्री सम्पतसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी मुकदमा नं0 45/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू ..... एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

29/10/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 45/2013 तारीख रजू:—18.04.2013

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. विजयराम | पिसरान माधोसिंह जाति जाट निवासी महूखास
2. शिवचराम | तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
3. रतीराम

——— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली जिला करौली
2. रवि अग्रवाल पुत्र श्री शिव भगवान अग्रवाल जाति महाजन निवासी केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. सुमरनसिंह पुत्र श्री सम्पतसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —— प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती</u>
<u>एवं घोषणा खातेदारी</u>

उपस्थित:—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

निर्णय दिनांक :— 29.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादीगण ने दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 भूमि को बन्दोबस्त कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने बन्दोवस्त करते समय पुराने खसरा नम्बर 1019 रकबा 1 बगीघा 4 बिस्वा भूमि से बनाया था। जिसमें

वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2038–41 मैं वहैसियत मालिक व स्वामी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जो भूमि ग्राम महूखास में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित नवीन खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 बन्दोवस्त कर्मचारीगण ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नवीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में 0.07 है0 भूहमि कम दर्ज की है, मौके पर वादीगण का विक्रीत भाग से लगवा पूर्व की तरफ 0.07 है0 भूमि पर कब्जा काश्त मौजूद है, जिसको वादीगण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में इन्द्राज दुरूस्ती कर नया खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 0.07 है0 बनाया जावे।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि वादीगण ने नवीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज भूमि के रकबा 0.23 है0 को प्रतिवादी सं0 2,3 को दिनांक 10.09.2012 को हिण्डौन महवा रोड की तरफ पश्चिम दिशा का सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दिया है, जिसका नामान्तकरण भी प्रतिवादी सं0 2,3 के नाम खुलकर जमाबन्दी सं0 2069–66 में दर्ज हो चुका है तथा वादीगण का मौके पर पुराने खसरा नम्बर के मुताविक शेष रकबा 0.07 है0 पर वादीगण का कब्जा काश्त मौजूद है, जिसको नवीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में खसरा नम्बर 1233 के अलावा 1233/1 रकबा 0.07 है0 भूमि को मौके पर पैमाईश कर वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना आवश्यक है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वादीगण ने नवीन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में दर्ज भूमि को प्रतिवादी नं0 2, 3 को विक्रय करने के उपरान्त शेष रकबा 0.07 है0 भूमि पुराने खसरा नम्बर को बदयांति पूर्वक भूमियों की बढती हुयी कीमतों के कारण लेने पर उतारू हो रहे हैं, जिससे वादीगण के हकूकों को भारी हानि होगी।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि दिनांक 10.02.2013 को वादीगण ने प्रतिवादी नं0 2,3 से कहा कि तुमको जो उक्त नवीन खसरा नम्बर का क्षेत्रफल विक्रय किया है, उसको पटवारी हल्का से पैमाईश कराकर शेष भूमि

रकबा 0.07 है0 भूमि को तहसील हिण्डौन में चलकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में इन्द्राज दुरूस्ती करवा लेते हैं, तो प्रतिवादी नं0 2, 3 ने वादीगण से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के लिए मना कर दिया और वादीगण को स्पष्ट धमकी देकर कहा कि हम तो खरीद की गयी भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करेंगें और तुमको शेष रकबा 0.07 है0 भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे। तो वादीगण ने प्रतिवादी नं0 2, 3 से हाथ जोडकर कहा कि ऐसा अन्याय मत करो तो प्रतिवादी नं0 2, 3 अपनी हठधर्मिता पर अडे हुए हैं और अज खुद नहीं मान रहे हैं।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को एक लीगल नोटिस दिनांक 22.02.2013 को अपने अधिवक्ता श्री देवीसिंह गुर्जर हिण्डौन के मार्फत भिजवा दिये हैं, जो कि प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुके हैं तथा इसके बावजूद भी प्रतिवादी नं01 ने इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की है और घोषणा खातेदारी भी नहीं की गयी है। इस कारण यह वाद वखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि विनाय दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 10.02.2013 को वाद पत्र के मद नं0 5 में वर्णित बात प्रतिवादी नं0 2,3 द्वारा वादीगण से कहने व इस मद में वर्णित धमकी देने से तथा दिनांक 22.02.2013 को वादीगण द्वारा वाद पत्र के मद नं0 7 में प्रतिवादीगण को नोटिस म्यादी 2 माह भेजने से तथा वादीगण के हक में इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करने व घोषणा खातेदारी नहीं करने से वमुकाम हिण्डौन तहसील हिण्डौन उत्पन्न हुयी है तथा दावा हाजा अन्दर अवधि पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 11 (अ) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर वादीगण के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हिण्डौन के क्षेत्रफल को मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पैमाईश कराकर प्रतिवादी नं0 2,3 के नवीन खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 भूमि हिण्डौन महवा सडक सीमा की ओर पश्चिम दिशा को छोडकर शेष भूमि 0.07 है0 भूमि पूर्व दिशा की तरफ

का नया खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 0.07 है0 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीव नक्शा ट्रेस आदि में इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण के नाम कर दिया जावे। वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र के मद नं0 11 (ब) में दर्ज किया है कि दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 01.08.2013 को प्रतिवादी सं0 2,3 की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 30.09.2013 को जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं हैं।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 गलत है और स्वीकार नहीं है। बन्दोवस्त कर्मचारीगण ने विवादित आराजी की स्थिति (रकबा) जैसी मौके पर पाई उसी अनुरूप रकबा दर्ज करते हुए नवीन नम्बर कायम किये हैं। विवादित भूमि के लंगवा पूर्व की तरफ 7 एयर भूमि वादग्रस्त भूमि का हिस्सा मौजूद नहीं है और ना ही तथाकथित किसी हिस्से पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त वर्तमान में है। वादीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 1233 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2012 को प्रतिवादी नं0 2 व 3 को बेचकर उनका मौके पर कब्जा करा चुके हैं एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण सं0 425 विवादित आराजी की खातेदारी प्रतिवादी नं0 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हो चुकी है। जबकि वादीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 1233 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी नं. 2, 3 को विक्रय कर चुके हैं तो उन्हें दावा हाजा दायर कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही वादीगण इस मद में वर्णित खसरा नम्बर 1233 रकवा 0.07 ऐयर कायम करा कर खातेदारी कराने के अधिकारी है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 3 वाद पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। वादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 1233 स्थित हिण्डौन से महुवा रोड के सहारे ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन के सम्पूर्ण भाग को दिनांक 10.09.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीगण को विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी नं. 2, 3 का कब्जा विक्रित आराजीयात पर कराया है कि जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का इन्द्राज दर्ज हुआ है। वादीगण का यह कथन कतई गलत है कि मौके पर पुराने खसरा नम्बर के मुताबिक 7 ऐयर रकबा पर वादीगण का कब्जा काश्त हो और उक्त रकवा को मौके पर पैमाइश कराकर वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हो। जब वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 के सम्पूर्ण रकबा को प्रतिवादी नम्बर 2, 3 को विक्रय कर उनका कब्जा करा चुके हैं एवं विक्रित आराजी के रकबे के अलावा मौके पर कोई भूमि शेष ही नहीं है तो वादीगण ने बनावटी तथ्यों के आधार पर लालचवश प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा दायर किया है जो काबिले रिजेक्शन है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 4 वाद पत्र जिस प्रकार से बयान किया है गलत है और स्वीकार नहीं है। वादीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1233 प्रतिवादीगण को विक्रय करने के पश्चात मौके पर कोई रकबा 7 ऐयर भमि शेष नहीं बची है। विवादित भूमि का हिण्डौन से महवा रोड के सहारे स्थित होने व भूमियों की कीमत बढने पर लालचवश वादीगण के दिल में बदयान्ति आने के कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने एवं मोटी रकम ऐंठने की गरज से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा दायर किया है कि जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 5 वाद पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। दिनांक 10.02.2013 को या किसी भी दिन व किसी भी समय वादीगण व हम प्रतिवादीगण के मध्य कोई वार्तालाप किसी किस्म का नहीं हुआ वादीगण ने इस मद में समस्त तथ्य गलत एवं बनावटी महज दावा

दायर करने के लिए बयान किये है कि जो हम प्रतिवादीगण को स्वीकारनीय नहीं है। जब वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 ऐयर भूमि (सम्पूर्ण भूमि) को हम प्रतिवादीगण को विक्रय कर हमारा कब्जा करा चुके है एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हमारा नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया है। तब वादीगण को विवादित आराजी की पैमाइश कराने या राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने हेतु दावा दायर करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 6 वाद पत्र गलत है व स्वीकार नहीं है जब वादीगण विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जब खातेदार ही दर्ज नहीं है और ना ही मौके पर कब्जा काश्त है तो उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 4 को वेवजह पक्षकार मुकदमा बनाया है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 7 वाद पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। वादीगण ने हम प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को कोई लीगल नोटिस दिनांक 22.02.2013 अपने अधिवक्ता श्री देवीसिंह गूर्जर के मार्फत नही भिजवाया है और नाही कोई तथाकथित नोटिस हम प्रतिवादीगण को मिला है। नोटिस के अभाव में दावा वादीगण कानूनन मेन्टीनेविल नहीं है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 8 वाद पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा दायर करने के लिए कोई विनाय दावा उत्पन्न नहीं हुई है। दावा वादीगण म्याद बाहर प्रस्तुत होने के कारण काबिल रिजेक्शन है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 9 वादपत्र कानूनी है कि जो काबिल गोर अदालत है।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 10 वाद पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है । वादीगण का दावा धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं धारा 88 राज.टी.एक्ट. के तहत पोषनीय नहीं होने के कारण काबिल रिजेक्शन है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 11 मय इस्तदुआ दादरसी अ, ब, स गलत है और स्वीकार नहीं है। वादीगण इस मद में वर्णित कोई दादरसी प्रतिकार प्रतिवादीगण कि विरूद्ध पाने के अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण हर प्रकार से खारिज योग्य है।

विशेष कथन

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 के सम्पूर्ण रकवा को वादीगण प्रतिवादी नम्बर 2, 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय कर उनका कब्जा करा चुके है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2012 के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 425 विवादित आराजी की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है।

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं है इसलिए वादीगण को दुरूस्ती बावत दावा हाजा लाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

जबावदावा के मद नं014 में दर्ज किया है कि वादीगण द्वारा हम प्रतिवादीगण को विक्रय की गई आराजी हिण्डौन से महुवा रोड के सहारे स्थित होने व जमीनों की कीमत बढने के कारण लालचवश अनुचित लाभ लेने व हम प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से वादीगण ने यह गलत दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं015 में दर्ज किया है कि वादीगण ने दावे के साथ प्रस्तुत वादपत्र की द्वितीय प्रति के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर नहीं करके व दावे के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र में विवादित आराजी के रहन वय बावत नोट अंकित नहीं करके दावा दायर किया है कि जो राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा पारित निर्देशों के अभाव में पेश होने के कारण दावा काबिल रिजेक्शन है।

अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण से हर्जा खास दिलाया जावे।

प्रतिवादी सं04 तहसीलदार हिण्डौन ने भी जबावदावा पेश कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार एवं अन्य तथ्यों को अस्वीकार करते अन्य तथ्य में अंकित किया है कि ग्राम महूखास स्थित खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 मुताविक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से बना है। भू– प्रबन्ध हुए 27 वर्ष हो चुके जो कि म्याद बाहर है। भू–प्रबन्ध द्वारा कब्जे के आधार पर रकबा बरारी की गई है। वादी को रकबा कमी संज्ञान में थी। हाल जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता में चस्पा वादीगण द्वारा अन्य खातेदारान के हक में विक्रय कर दिया गया है, इसलिए दावा खारिज होने योग्य है।

दिनांक 17.02.2025 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2066–69, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41, नकल नक्शा ट्रेस, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2012 उनवानी विजयराम शिवराम पिसरान माधौसिंही जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन, महेशचन्द पुत्र रामस्वरूप बंसल जाति महाजन निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन– विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक श्री रवि अग्रवाल पुत्र श्री शिव भगवान अग्रवाल जाति महाजन निवासी केशवपुरा हिण्डौन जिला करौली, सुमरनसिंह पुत्र श्री सम्पतसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन– क्रेतागण द्वितीयपक्ष पेश की है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 के अनुसार विवादित आराजी

खसरा 353 रकबा 0.14 है0, 748 रकबा 0.26 है0, 768 रकबा 0.14 है0, 1074 रकबा 0.25 है0, 1081 रकबा 0.16 है0, 1190 रकबा 0.25 है0, 1194 रकबा 0.54 है0, 1196 रकबा 0.26 है0, 1210 रकबा 0.37 है0,1233 रकबा 0.23 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.60 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी विजयराम रत्तीराम शिवराम पि0 माधोसिंह जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकि नोट नामान्तकरण सं0 375 नि0 दिं0 10.03.2011 बेचान से खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 रत्तीराम हि0 1/3 बहक महेशचन्द पुत्र रामस्वरूप बंसल हि0 1/3 जाति महाजन निवासी महूइब्राहिमपुर स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 425 नि0दिं0 20.09.2012 बेचान से खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 पर रवि अग्रवाल पुत्र शिवभगवान अग्रवाल हि0 12/23 जाति महाजन निवासी केशपुरा हिण्डौन, सुमरनसिंह पुत्र सम्पतसिंह हि0 11/13 जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी दशरथ पुत्र श्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2012 उनवानी विजयराम शिवराम पिसरान माधौसिंही जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन, महेशचन्द पुत्र रामस्वरूप बंसल जाति महाजन निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन– विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक श्री रवि अग्रवाल पुत्र श्री शिव भगवान अग्रवाल जाति महाजन निवासी केशवपुरा हिण्डौन जिला करौली, सुमरनसिंह पुत्र श्री सम्पतसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन– क्रेतागण द्वितीयपक्ष के हक में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके

ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन का विक्रय किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा बाकई मौके पर केतागण को संभलाना अंकित किया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रवि अग्रवाल पुत्र शिवभगवान अग्रवाल हि0 12/23 जाति महाजन निवासी केशवपुरा हिण्डौन, सतीश पुत्र तोताराम हि0 11/23 जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रवि अग्रवाल पुत्र शिवभगवान अग्रवाल हि0 12/23 जाति महाजन निवासी केशवपुरा हिण्डौन, सतीश पुत्र तोताराम हि0 11/23 जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खातेदार सतीश पुत्र तोताराम जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी को उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण में नॉन जोईण्ड ऑफ पार्टीज का नुख्स आरिज होने के कारण भी वादीगण का दावा खारिज योग्य है। विवादित आराजी खाता संख्या 251 के खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1019 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कायम किया गया है। जबकि वादीगण की खातेदारी की भूमि खाता सं0 251 में इस खसरा नम्बर के अलावा अन्य खसरा नम्बर भी हैं। जिनका कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है। साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने पर वादीगण का सम्पूर्ण खाते का रकबा साबिक के अनुसार ही दौराने सेटिलमेन्ट सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने मौके के अनुसार सही कायम किया जाना प्रतीत होता है। वादीगण के द्वारा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन का बेचान प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में भी किया जा चुका है। वर्तमान में वादीगण उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार भी नहीं हैं इसलिए वादीगण उक्त इन्द्राज दुरूस्ती कराने के भी

अधिकारी नहीं हैं। वादीगण ने दावा मात्र सम्पूर्ण खाते में से मात्र एक खसरा नम्बर का पेश किया है जिसका रकबा कम है, जबकि वादीगण ने उन खसरा नम्बर को वाद पत्र में दर्ज नहीं किया है जिनका रकबा सेटिलमेन्ट ने बढा दिया है। ऐसे हालात में वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। वादीगण ने वाद पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वादीगण का कमी रकबा 0.07 है0 को सेटिलमेन्ट विभाग ने किस खसरा नम्बर में बढा दिया गया है। किसी भी खसरा नम्बर के रकबा को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है। खसरा नम्बर के टुकडे जरूर हो सकते हैं। इस प्रकार वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। वादीगण का दावा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी विवादित आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 29/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली